बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन / भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01 / 2025–17 पटना, दिनांक–17/2/25

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर निम्नरूपेण आवास आवंटित किया जाता है :–

क्र.	Reg. I'd	पदाधिकारी का नाम	विभाग	आवंटित आवास संख्या
1.	BG2270	श्री प्रदीप प्रभाकर, आप्त सचिव	विधि विभाग	I/5, A to Z सेट
2.	BG2514	श्री अक्षय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	A/4, A to Z सेट
3.	BG2517	श्री प्रभाकर कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	N/2, A to Z सेट
4.	BG2527	श्री राकेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	P/1, A to Z सेट
5.	BG2559	श्री अवधेश कुमार दास, प्रशाखा पदाधिकारी	योजना एवं विकास विभाग	U/6, A to Z सेट
6.	BN3246	श्री प्रविण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	गृह विभाग	N/6, A to Z सेट

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया / दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।
6. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०

(शिव रंजन)

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः– भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01/2025 1549 (अ) पटना, दिनांकः– 17/2/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–सम्पदा प्रशाखा/आई.टी.मैनेजर एवं ई–निवास कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 17/2/25

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।